*वित्तीय समावेशन के लिए अपनाई गई रणनीति**

दीपाली पंत जोशी

देश में बैंकों के लिए अगले एक दशक में या उससे अधिक समय में एक सबसे बड़ी चुनौती देश की 50 प्रतिशत आबादी अर्थात 1.2 बिलियन लोगों को बैंकिंग कारोबार से जोड़ना है। जरूरत है कि गरीब लोगों को वित्तीय उत्पाद उपलब्ध हों और उसकी लेनदेन लागत भी कम हो। उन्हें मांग पक्ष (वित्तीय जागरूकता और (शिक्षा) तथा आपूर्ति पक्ष (रियायती वित्तीय उत्पाद की उपलब्धता के रूप मे) के बारे में सहायता प्रदान की जानी है । कृषि कार्यों से मौसमी आधार पर उन्हें होने वाली आमदनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाना, मौसमी एवं अनियमित कार्य की उपलब्धता तथा आय को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि वर्तमान वित्तीय प्रणाली को उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाया जाए और जो उनकी आवश्यकताओं को बेहतर तौर पर पूरा कर सके। निःसंदेह इस दिशा में बैंक तथा विनियामक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी हमें परंपरागत तरीकों एवं डिलीवरी चैनलों से आगे सोचना होगा और अपने प्रयासों को तेज करना होगा।

माननीय डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर ने इस बात को शिद्दत से कहा है कि बड़े पैमाने पर बहुमुखी विकास की जरूरत है ताकि गरीबी को तेजी से कम किया जा सके। गवर्नर ने निकट भविष्य में पाँच स्तंभों पर आधारित रिजर्व बैंक के विकासात्मक उपाय निर्धारित किए हैं। जिनमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ वित्तीय समावेशन है जिसका उद्देश्य वित्त की उपलब्धता को लघु और मध्यम उपक्रमों, असंगठित क्षेत्रों, गरीबों तथा दूर-दराज़ देश के सेवाविहीन क्षेत्रों में पहुंचाना है।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण

वित्तीय समावेशन के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक का यह नजरिया है कि सामूहिक प्रयास को एक दिशा प्रदान की जाए ताकि उससे होने वाले लाभ हासिल किए जा सकें। इसलिए हमने वित्तीय समावेशन को इस प्रकार से परिभाषित किया है -

''यह मुख्य धारा के संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा समाज के सभी वर्गों को सामान्य रूप से तथा प्रभावित समूह जैसे कमजोर वर्गों एवं कम आय समूहों को खासतौर से कम लागत पर उचित एवं पारदर्शी तरीके से उपयुक्त वित्तीय उत्पाद तथा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।''

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकरहित क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं के विस्तार को बढ़ाने का जहां लगातार प्रयास किया है, वहीं अपनी नीति द्वारा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र को पर्याप्त तथा संभाव्य ऋण उपलब्ध करने की नीति जारी रखी है। हमने वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बना हुआ सुनियोजित तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है तथा वित्तीय साक्षारता पहल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की मांग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे वित्तीय समावेशन दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाली कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

संस्थागत प्रणाली

वित्तीय समावेशन के लिए लागू संस्थागत प्रणाली के अंतर्गत हमारे पास वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) है, जिसके वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के लिए विशिष्ट अधिदेश है। एफएसडीसी के अंतर्गत उप गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता से संबंधित एक पृथक तकनीकी समूह का गठन किया गया है। इस समूह में वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों का प्रतिनिधित्व है। वित्तीय समावेशन के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उप गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) का गठन किया है। एफआईएसी में रिज़र्व बैंक के बोर्ड के कुछ निदेशक, और एनजीओ के विशेषज्ञ/अन्य सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि आदि सदस्य हैं। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) तथा उसे सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर 671 अग्रणी जिला प्रबंधक हैं।

बैंकजन्य मॉडल

भारत में हमने वित्तीय समावेशन के लिए बैंकजन्य मॉडल अपनाया है, जो प्रौद्योगिकी पर आधारित है। वित्तीय समावेशन की पहल आइसीटी आधारित होना ही है तथा नये डिलिवरी मॉडल पर

* डॉ. दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जनवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में दिया गया व्याख्यान।

कार्य करेगी जिनका विकास बाजार के सहभागियों द्वारा उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा।

हमारा अनुभव हमें बताता है कि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य मुख्य धारा की बैंकिंग संस्थाओं द्वारा बेहतर तौर पर हासिल किया जा सकेगा क्योंकि उन्हीं के पास उपयुक्त उत्पाद देने की योग्यता है जो प्रभावी/सार्थक वित्तीय समावेशन ला सकेगा। अन्य खिलाड़ियों जैसे मोबाइल कंपनियों को बैंकों के साथ भागीदारी करके सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

एकीकृत दृष्टिकोण - वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, उपभोक्ता संरक्षण तथा अंततः वित्तीय स्थिरता के लिए वित्तीय साक्षरता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसके अंतर्गत वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के प्रयास साथ-साथ चलेंगे।

वित्तीय उत्पादों का गुलदस्ता

बैंक न होने की वजह से बड़ी संख्या में अनौपचारिक बिचौलिए कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो बैंक के एवज में काम करते हैं। इस तरह की गैर-विनियमित संस्थाएं केवल ऋण देने के उत्पाद का कारोबार करती हैं और अत्यधिक भारी ब्याज दर पर ऋण देती हैं, वह भी अधिकांशतः अशिक्षित लोगों को। इसके कारण गरीब लोग बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए हैं। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमने अपनी नई कोशिशों में बैंकों को सूचित किया है कि वे ग्राहकों को चार बुनियादी उत्पाद, न्यूनतम दर पर प्रदान करते हुए ग्राहकों की समस्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करें, वे इस प्रकार हैं:

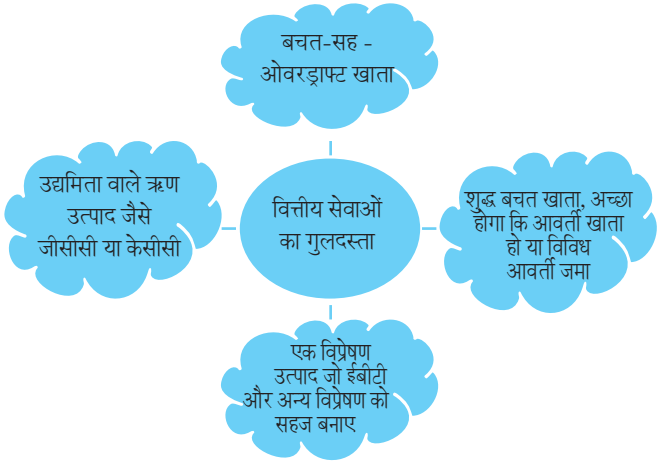

इसका तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि जो ग्राहक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ें उन्हें वे सभी बुनियादी वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं जिससे उनकी आमदनी बढ़े और इस तरह वे गरीबी से बाहर निकल सकें। इस पहल से यह उम्मीद है कि यह बैंकों तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के बड़े वर्ग दोनों के लिए कामयाबी की स्थिति होगी।

शाखा और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) दोनों की संयुक्त संरचना

हम वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए पक्के मकान में क्लिक और माऊस टेकनॉलाजी को साथ लेकर चलने की वकालत कर रहे हैं, खासतौर से ऐसे क्षेत्रों में जो भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं। बैंकों कों दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए प्रौद्योगिकी का कारगर उपयोग करना ही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी शाखाओं का बड़ा नेटवर्क बनाने के साथ-साथ रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने के लिए मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग करें। बीसी मॉडल से बैंक 'नकदी लेने नकदी देने' का कार्य ग्रामीण आबादी के बहुत निकट रहकर कर सकेंगे और इससे अंतिम मील तक पहुंचने की समस्या का समाधान हो सकेगा।

प्रौद्योगिकी का सहारा लेना

बैंकों के लिए परंपरागत रूप से पक्के मकान में बैंकिंग सेवाएं दे पाना महंगा पड़ रहा था। हमने यह महसूस किया कि वित्तीय समावेशन का कार्य बहुत बड़ा है और प्रौद्योगिकी का सहारा लिए बिना इसे कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए हमने बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे अधिक से अधिक जनसंपर्क एवं विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लें तथा देश के दूर-दराज क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं देने की लागत को न्यूनतम करें। प्रौद्योगिकी को अपनाने से बैंकों के लिए यह संभव हो गया है कि वे बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को गांवों के दरवाजे तक पहुंचा सकें।

व्यवसाय प्रतिनिधियों की सेवाएं लेना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय सहयोगी (बीएफ) तथा व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) की सेवाएं मध्यस्थ के रूप में लें। व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल की सहायता से बैंक दरवाजे तक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, खासतौर से 'नकदी लेने व नकदी देने' में और इस

प्रकार से 'अंतिम मील' तक पहुंचने की समस्या का समाधान हो सकेगा। बीसी के रूप में पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को समय-समय पर व्यापक बनाया गया है और हमने इस प्रक्रिया में 'परखो और सीखो' का दृष्टिकोण अपनाया है। अब, यहां तक कि लाभ कमाने वाले संगठनों को भी, एनबीएफसी तथा टेल्को को छोड़कर, बैंकों के बीसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है।

केवाईसी मानदंडों में रियायत

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का सख्ती से पालन किए जाने से आम आदमी और बैंकिंग प्रणाली के बीच एक संबद्धता सी पैदा हो गई है। छोटे बैंक खाते खोलने के बारे में केवाईसी अपेक्षाओं को उदार बना दिया गया है। यूआइडीएआई की पहल का सहारा लेते हुए हमने 'आधार' को केवाईसी अपेक्षा को पूरा करने का एक पात्र दस्तावेज बनने की अनुमति दी है और हाल ही में बैंकों को यह भी अनुमति दी गई है कि वे आधार-प्लेटफार्म के माध्यम से ई-केवाईसी सेवाएं उपलब्ध कराएं।

सरलीकृत शाखा प्राधिकरण

बैंक शाखाओं के बेतरतीब फैलाव की समस्या को सुलझाने के लिए शाखा लाइसेंसीकरण को काफी उदार बना दिया गया है और बैंक अब 1 लाख से कम आबादी वाले केंद्रों पर सामान्य अनुमति के अधीन मुक्त रूप से शाखाएं खोल सकते हैं बशर्ते उसकी रिपोर्टिंग की जाए।

बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखाएं खोलना

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं अधिक खोलने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों पर खोलें। इस अधिदेश को प्राप्त करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आधार शाखा तथा बैंकरहित गांवों के बीच एक पक्के मकान में छोटी मध्यस्थ शाखा खोलें। तात्पर्य यह है कि एक आर्थिक-प्रणाली सृजित की जाए ताकि सेवाएं अच्छी तरह से दी जा सकें, नकदी-प्रबंधन अच्छी तरह किया जाए, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण हो और बीसी कार्यों का निकट से पर्यवेक्षण किया जा सके। इससे बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में तेजी से शाखा का विस्तार हो सकेगा।

बैंकों की वित्तीय समावेशन योजना

हमने बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे वित्तीय समावेशन के लिए संरचित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें उच्च स्तर पर प्रतिबद्धता हो, बनायी गई वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो। एफआईपी को पहले चरण में 2010-2013 तक लागू किया गया था। रिज़र्व बैंक ने एफआईपी का इस्तेमाल बैंकों की वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत उनके निष्पादन को मापने के लिए किया है। इस दिशा में हमने बैंकों के निष्पादन बनाम लक्ष्य के मूल्यांकन के लिए एक संरचित और व्यापक निगरानी प्रणाली लागू की है। वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में बैंक के शीर्ष प्रबंधन के समर्थन और बैंकों के वरिष्ठ कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बैंक के सीएमडी/सीईओ के साथ एक के बाद एक के साथ वार्षिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के दौरान हुई प्रगति की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है :

- बैंकिंग आउटलेट की संख्या मार्च 2010 में 67,694 थी जो बढ़कर 2,68,000 हो गई है।
- इन तीन वर्षों में लगभग 7,400 ग्रामीण शाखाएं खोली गई हैं जबकि पिछले दो दशक में लगभग 1300 ग्रामीण शाखाएं कम हो गई थीं।
- लगभग 109 मिलियन सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) और खोले गएं हैं, जिसे मिलाकर इसकी कुल संख्या 182 मिलियन हो गई है। आईसीटी आधारित खातों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कुल बीएसबीडीए की तुलना में आईसीटी आधारित खातों का प्रतिशत मार्च 2010 में 25 प्रतिशत था जो मार्च 2013 में बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है।
- इस अवधि में लगभग 9.48 मिलियन खेतिहर क्षेत्र के गृहस्थों को इससे जोड़ा गया, मार्च 2013 के अंत तक 33.8 मिलियन गृहस्थों को लघु उद्यमिता ऋण प्रदान किया गया।
- इस अवधि में लगभग 2.24 मिलियन खेती से इतर क्षेत्र के गृहस्थों को जोड़ा गया, मार्च 2013 के अंत तक 3.6 मिलियन गृहस्थों को लघु उद्यमिता ऋण प्रदान किया गया।
- तीन वर्ष की अवधि में बीसी के माध्यम से आईसीटी आधारित खातों में 490 मिलियन लेनदेन किए गए।

बैंकिंग आउटलेट

हमने अब बैंकिंग का एक बड़ा नेटवर्क बना दिया है और भारी संख्या में छोटे खाते भी खोल दिए हैं। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत अब इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि सृजित बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल उत्पादों जैसे-ऋण आदि प्रदान करने के लिए किया जाए। जो बैंकों के लिए इस व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बड़ी संख्या में खोले गए खातों में बड़ी मात्रा में लेनदेन हों तथा लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने का फायदा मिल सके।

बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए रूपरेखा

वित्तीय समावेशन की पहचान एक बढ़ते कारोबारी अवसर के रूप में तथा बैंकों ने इसमें अपने उपस्थिति दर्ज करने के लिए कदम बढ़ा लिया है, इसलिए हमने देश में सभी बैंकरहित गांवों में बैंकिंग

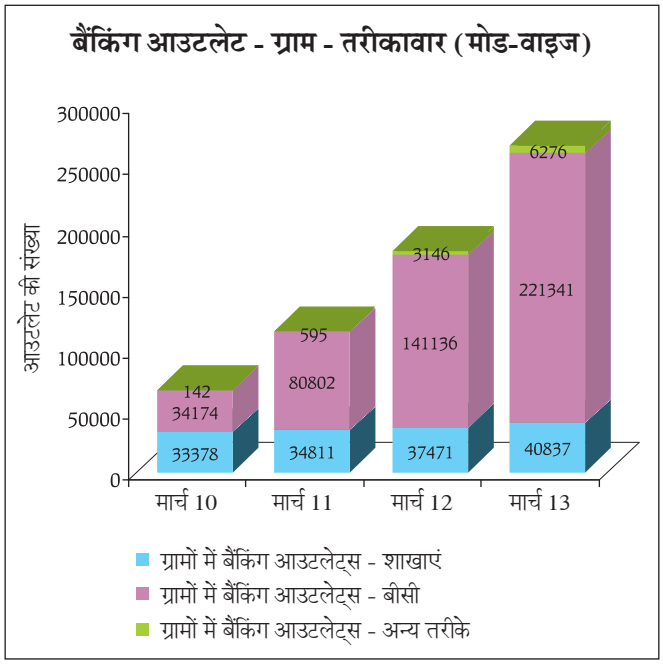

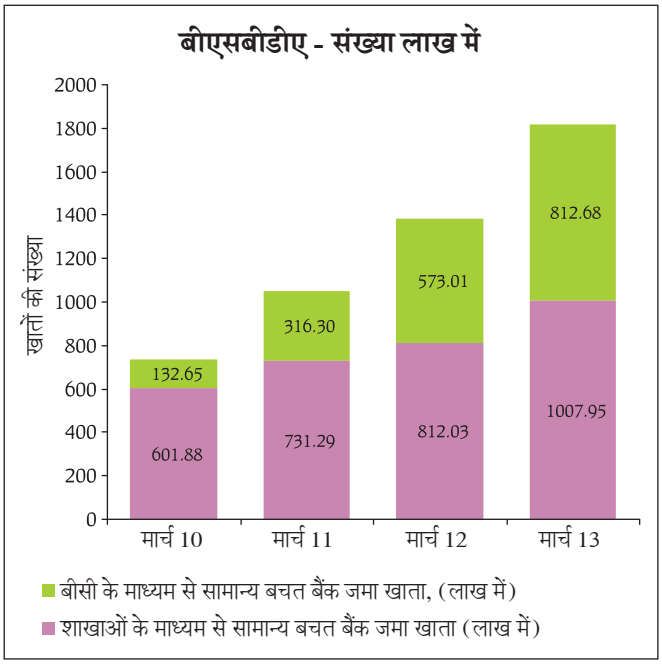

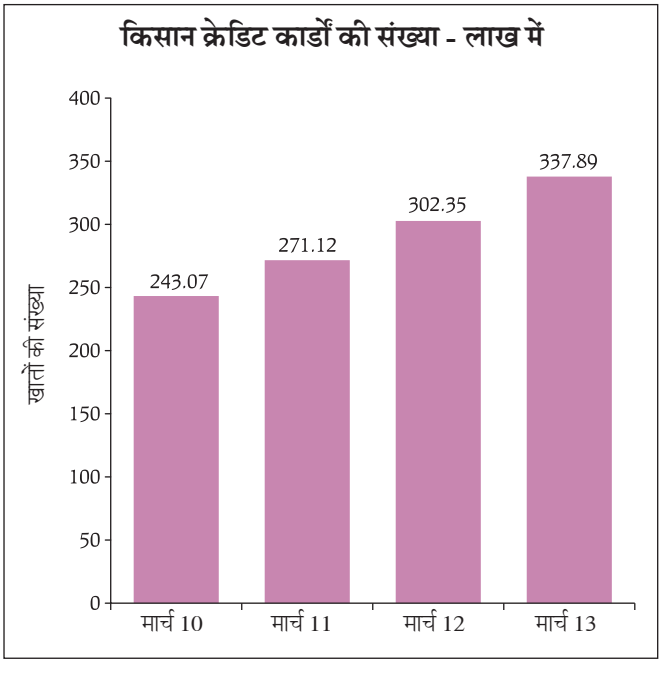

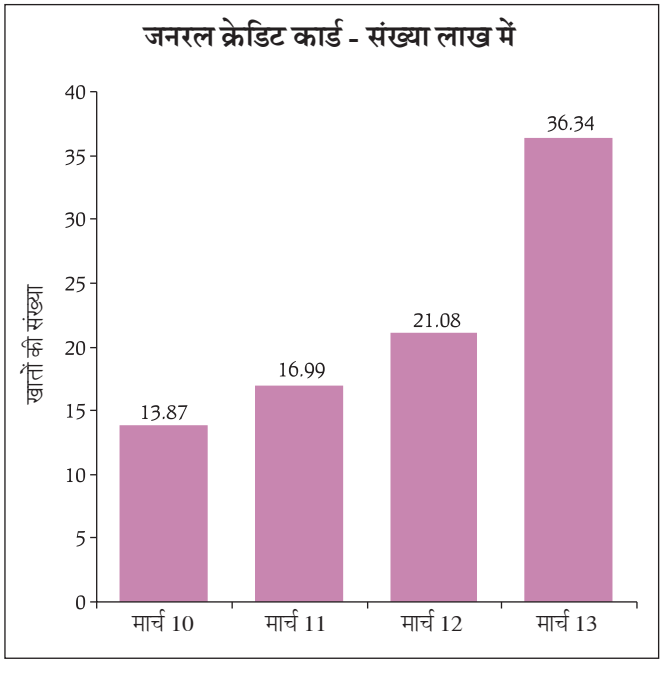

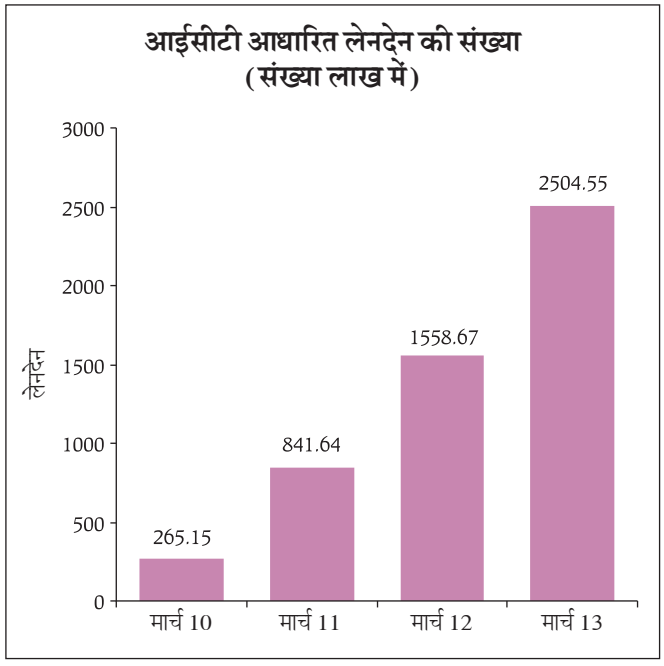

सेवाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का दृष्टिकोण अपनाया है। पहला चरण पूरा हो जाने पर 2000 से अधिक आबादी वाले लगभग 74,000 गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और अब हम दूसरे चरण में हैं जिसमें 2000 से कम आबादी वाले शेष 4,90,000 गांवों की पहचान की गई है और उन्हें बैंकों को मार्च 2016 तक बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए आबंटित किया गया है। 2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं देने की रूपरेखा के अंतर्गत मध्यप्रदेश की एसएलबीसी ने विभिन्न खंडों में 47,660 बैंकरहित गांवों की पहचान की है और जिनमें से 18,986 बैंकरहित गांवों कों मार्च 2014, कवर कर लिया जाएगा।

लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटी)

भारत सरकार की यह योजना है कि सामाजिक सुरक्षा संबंधी भुगतान, आधारयुक्त भुगतान प्रणाली पर आधारित प्लेटफार्म का सहारा लेते हुए बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से किया जाए। सरकार की डीबीटी पहल को लागू करने के लिए बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे सभी पात्र व्यक्तियों के खाते खोलें और वर्तमान तथा नये खातों में आधार संख्याएं डालें।

वित्तीय साक्षरता

हमने यह महसूस किया है कि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता बहुत ज़रूरी है। हमने एकीकृत प्रणाली अपनाई है जिसमें वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता दोनों साथ-साथ चलेंगे। वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा के माध्यम से हम सामान्य बैंकिंग संकल्पनाओं की जानकारी विभिन्न लक्ष्य-समूहों को पहुंचा रहे हैं, जिसमें स्कूल, महाविद्यालय के विद्यार्थी, महिलाएं, ग्रामीण और शहरी गरीब, पेंशनभोगी तथा वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं ताकि वे वित्तीय संबंधी निर्णय लेते समय इसकी जानकारी रख सकें। इस कार्य को करने के लिए हमने बैंकों द्वारा लगभग 800 वित्तीय शिक्षा केंद्र बनाए हैं। हमने बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम बनाया है जिसका उद्देश्य है कि वित्तीय रूप से वंचित ऐसी आबादी जिसकी आय कम है और उनकी शिक्षा का स्तर कम है उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा जाए। वित्तीय शिक्षा केंद्र, बाहर जाकर शिक्षा कैंप लगाते हैं और ये कैंप तीन-तीन महीनों तक के लिए भी लगते है जो तीन चरणों में होते हैं जिसमें जागरुकता पैदा करने के साथ-साथ शिक्षा कैंपों में खाते भी खोले जाते हैं।

आगे की दिशा-मुद्दे और चुनौतियां

संरचना

बैंकों द्वारा नये शाखा रहित सेवा-चैनलों को अपनाए जाने से बैंकों के लिए जरूरी हो गया है कि वे बैंकिंग का कार्य करने के लिए अपनी संरचना में तबदीली करें। इसके लिए कोई एक नियत संरचना परिभाषित नहीं की जा सकती जिसे सभी बैंक अपनाएं। प्रत्येक बैंक को अपनी मौजूदा संरचना के आधार पर ढांचा विकसित करना होगा जो उनके वित्तीय समावेशन प्रयासों को तेज करेगा। इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी :

- मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा, वित्तीय समावेशन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्टाफ की भर्ती। दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए अलग स्टाफ-संवर्ग पर भी विचार किया जा सकता है।
- बैंकों को इस बारे में चिंतन करना होगा और अलग तरीके से हरकत करनी होगी और स्वयं को और अधिक उदार बनाना होगा ताकि ग्रामीण आबादी की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

बीसी (व्यवसाय प्रतिनिधि) मॉडल

बीसी मॉडल लागू करने में अनेक चुनौतियां हैं। उसे बनाए रखना और उसे मापते रहना अनिवार्य है। अधिक से अधिक नये उत्पाद लाए जाएं जिससे बैंकों तथा ग्रामीण लोगों, दोनों को लाभ हो और बीसी मॉडल भी फायदेमंद सिद्ध हो। शाखारहित तरीके से

बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए नकदी प्रबंधन की परंपरा की समीक्षा करना आवश्यक है ताकि विभिन्न मॉडलों के प्रभाव को मापा जा सके।

लेनदेन

हमने वित्तीय समावेशन की पहल के पहले चरण में बैंकों द्वारा बैंकिंग आउटलेट खोलने और भारी संख्या में लोगों के खाते खोलने में सफलता प्राप्त की है। इसे और आगे बढ़ाते हुए हमारा मकसद है कि और अधिक ऋण उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं ताकि इन खातों में ज्यादा लेनदेन हो जिससे ग्रामीण लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा और बीसी मॉडल भी बैंकों लिए फायदेमंद साबित होगा। बैंकों को सूचित किया गया है कि भारत सरकार की सीधा लाभ अंतरण पहल की मदद लें और बैंकिंग प्रणाली से सभी लोगों को जोड़ें और इन खातों में जमा होने वाली बड़ी रकम का उपयोग करें ताकि जमाराशि बढ़ाने एवं ऋण उत्पादों को प्रोत्साहन मिल सके।

संयुक्त प्रयास

अंतिम रूप से, वित्तीय समावेशन बिना सभी हितधारकों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य वित्तीय विनियामक, बैंक, सरकारें, एनजीओ, सिविल सोसायटी आदि की सक्रिय सहभागिता के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। वित्तीय स्थिरता सहित समावेशी विकास के मौजूदा नीतिगत उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किए जा सकते जब तक कि बहुमुखी वित्तीय समावेशन सुनिश्चित न हो। बैंक अकेले इसे प्राप्त नहीं कर सकते जब तक समस्त समर्थनकारी प्रणाली की इस मिशन में सहभागिता नहीं होगी। सभी हितधारक हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और इस मिशन को संभव बनाएं।